

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी

कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के संबंध में ।

महाशय,

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं

शेखा देवी फति श्री सावण पाण्डे

ग्राम वजरंगनगर कृषि पो. कुमरी तिलैया थाना तिलैया

जिला कोडरमा का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा मवादा
2. थाना तिलैया
3. थाना न० 249
4. खाता न० 06
5. प्लॉट न० 112
6. रकबा 4.90 स्रो
7. भूमि का किस्म खेती
8. अद्यतन रसिद न० 4699050 दिना 23/5/12 वर्ष-2011-12
9. दा० खारिज वाद संख्या 4020/2011-12

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण

पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अगारी रहूँगा ।

विश्वासभाजन

शेखा देवी

## न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं० 397/2022

16.12.22

आवेदिका रेखा देवी पति श्रवण पाण्डेय, साकिन-बजरंगनगर, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	किस्म
नवादा	249	06	112	4.90	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 24/12/2022 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,  
कोडरमा

24.12.22

30.12.22

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-नवादा, थाना नं०-249, खाता सं०-06, प्लॉट सं०-112, रकबा-4.9 डी० ऑनलाइन पंजी-11 के पृष्ठ सं०-130 भाग सं०-08 पर रेखा देवी पति श्रवण पाण्डेय के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में दा० खा० वाद सं०-4020/2011-12 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-5509 दिनांक 17.08.2010 द्वारा हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र सं०-38 दिनांक-07.12.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है मौजा-नवादा, थाना नं०-249, खाता सं०-06, प्लॉट सं०-112, रकबा-4.9 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding ( Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,  
कोडरमा